Regarding alleged issuance of SC certificate to non-eligible persons in Uttar Pradesh-laid

श्री अक्षयवर लाल **(**बहराइच**):** माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्री जी के संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गैर अनुसूचित समुदायों जैसे गड़रिया, पाल पिछड़ी जाति को धनगर अनुसूचित जाति मानकर एवं हिन्दु जुलाहा, कोली, कबीरपंथी बुनकर के सदस्यों को कोरी अनुसूचित जाति मानकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं जोकि पूर्णतया गलत है । सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्रालय के पत्रांक 12018/1/2011-एस.सी.डी. (आर एस सेल) दिनाँक 25-03-2019 द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को गरिया, पाल संबंधी आदेश संख्या 207-सी.एम./26-03-2018 दिनाँक 24-01-2019 एवं हिन्दु जुलाहा, कोली, कबीरपंथी बुनकर सम्बन्धी आदेश सं0-3045/26-03-2018 दिनाँक 06-11-2018 को निरस्त/रद्द करने हेतु मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया था, किन्तु उक्त आदेश अभी तक निरस्त नहीं किए गए हैं । जिनका दुरुपयोग करके इन पिछड़ी जातियों द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं सुविधाएं निरन्तर ली जा रही हैं । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक उक्त दोनों आदेशों निरस्त नहीं किए गए हैं । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उ०प्र० सरकार के उक्त दोनों आदेश दिनाँक 24-01-2019 एवं 06-11-2018 को निरस्त कराने एवं उसकी सूचना मुझे भी उपलब्ध कराने की कृपा करें ।